राष्ट्रीय परीक्षण सेवा-भारत
National Testing Service-India
भारतीय भाषा संस्थान
Central Institute of Indian Languages

सत्यमेव जयते

डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप की घोषणा
Announcement of Doctoral and Postdoctoral Fellowships

भारतीय भाषा संस्थान की परियोजना राष्ट्रीय परीक्षण सेवा-भारत द्वारा **04** ***डॉक्टोरेट और 06 पोस्ट डॉक्टरेट अध्येतावृति*** प्रदान करने के लिए स्नातकोत्तर / शोधकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

National Testing Service-India, a scheme under the Central Institute of Indian Languages, invites applications from post-graduates / researchers for the award of **04** ***Doctoral and 06 Post Doctoral Fellowships***.

यह अध्येतावृति परीक्षण एवं मूल्यांकन के अन्तर्विषयक क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। शोध का विषय नीचे उल्लिखित किसी भी क्षेत्र में हो सकता है लेकिन उसमें परीक्षण एवं मूल्यांकन का घटक होना चाहिए।

These fellowships are awarded with a view to promoting research in the interdisciplinary areas of testing and evaluation. The topic of research may be in any of the below-mentioned areas but with a component of testing and evaluation.

अनुसंधान के मुख्य क्षेत्र होंगे-शैक्षिक परीक्षण और मूल्यांकन,भाषा परीक्षण और समाकलन, भारतीय भाषाओं में श्रवण-वाचन-पठन-लेखन कौशल, भाषा शिक्षा, ऑनलाइन भाषा शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में नवाचार, साक्षरता, भाषा या शिक्षा नीति। एनईपी-2020 के क्षेत्र में होगा-मातृभाषा शिक्षा, भाषा शिक्षण-सीखना, भाषा शिक्षाशास्त्र, पाठ्यचर्या विकास, विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग में आने वाली भाषा, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा, शैक्षिक मनोविज्ञान, कम संसाधन वाली भाषा कक्षा, भाषा और संस्कृति आदि, या भारत सरकार की योजनाओं के अनुरूप भारतीय भाषाओं/मातृभाषाओं के लिए भाषा शिक्षा/संस्कृति आदि।

The preferred area of research would be in the areas of Educational Testing and Evaluation, Language Testing and Assessment, LSRW skills in Indian Languages, Language Education, Online Language Education, Innovation in Educational Technologies, Literacy, Language or Education policy, NEP-2020, Mother Tongue Education, Language Teaching-Learning, Language Pedagogy, Curriculum Development, Language-in-use, Language for Specific Purposes, Educational Psychology, Lower Resource Language Classroom, Language and Culture, etc., or in line with schemes of GOI pertaining to language education/culture, etc. for Indian languages/mother languages.

डॉक्टरेट अनुसंधान के लिए अध्येतावृति की राशि 20,000/- रुपये प्रति माह होगी और 20,000/- रुपये प्रति वर्ष के आकस्मिक अनुदान मिलेगा एवं पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च के लिए 30,000/- रुपये प्रति माह मिलेगा और 30,000/- रुपये प्रति वर्ष आकस्मिक अनुदान दिया जायेगा। अध्येतावृति की अवधि **डॉक्टरेट के लिए 3 वर्ष और पोस्ट डॉक्टरेट के लिए 1 वर्ष** है और जरूरत पड़ने पर योग्य मामलों में सख्त मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर इसे एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

The value of the fellowship for Doctoral Research is Rs. 20,000/- per month with a contingent grant of Rs. 20,000/- per annum; for Post Doctoral Research is Rs. 30,000/- per month along with a contingent grant of Rs. 30,000- per annum. The period of fellowship is **3 years for the Doctoral and 1 year for the Post Doctoral**, and it may be extended by one more year based on a strict assessment procedure in deserving cases.

पात्रता के मापदंड

पीएच. डी. फेलोशिप के लिए-

1. आवेदक ने संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भारतीय भाषाओं में से किसी एक का कम से कम माध्यमिक स्तर तक अध्ययन किया हो।
2. भाषाविज्ञान, भाषा शास्त्र, 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं, साहित्य, अंग्रेजी (भारतीय साहित्य/भाषाओं/संस्कृति पर केंद्रित), मानव विज्ञान, मनोविज्ञान या शिक्षा में से किसी एक में में पूर्णकालिक स्नातकोत्तर/एकीकृत स्नातकोत्तर उपाधि।
3. यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भारतीय विश्वविद्यालय में नामांकित (पीएच.डी. डिग्री के दूसरे वर्ष तक)।
4. फ़ेलोशिप हेतु चयनित होने की तारीख से अगले महीनों में प्रासंगिक पीएच.डी. कार्यक्रम में दाखिला लेने की उम्मीद रखने वाले उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकता है।

Eligibility Criteria

For Ph.D. Fellowship-

1. The applicant should have studied one of the 22 Indian languages listed in the 8th schedule of the constitution, at least up to the Secondary Level.
2. A full-time Master/Integrated Master's degree in Linguistics, Language Science, in any of the 22 Scheduled Indian Language, Literature, English (with a focus on Indian Literature/Languages/Culture), Anthropology, Psychology, or Education.
3. Enrolled in UGC Recognized Indian University (up to 2nd year of Ph.D degree).
4. Candidates expecting to enroll in a relevant PhD programme in the next months, from the date of selection of the award of fellowship, may also be considered.

पोस्ट-डॉक्टोरल फ़ेलोशिप के लिए-

1. आवेदक ने संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भारतीय भाषाओं में से किसी एक का कम से कम माध्यमिक स्तर तक अध्ययन किया हो।
2. संबंधित क्षेत्र में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भारतीय विश्वविद्यालय से, प्रासंगिक प्रकाशनों के साथ (विस्तृत दिशानिर्देश देखें) पीएच.डी. की डिग्री तथा साथ पूर्व में 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में से किसी एक में, भाषा विज्ञान, साहित्य, अंग्रेजी (भारतीय साहित्य/भाषा/संस्कृति पर केंद्रित), मानवविज्ञान, मनोविज्ञान, या शिक्षा शास्त्र इत्यादि में पूर्णकालिक स्नातकोत्तर / एकीकृत स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त हो।
3. पोस्ट-डॉक्टरल उम्मीदवार के रूप में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भारतीय विश्वविद्यालय में हाल ही में नामांकित हुआ हो।
4. फ़ेलोशिप जारी होने की तारीख से अगले 3 महीनों में प्रासंगिक पोस्ट-डॉक्टरल कार्यक्रम में दाखिला लेने की उम्मीद करने वाले उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकता है।

For Post-Doctoral Fellowships-

1. The applicant should have studied one of the 22 Indian languages listed in the 8th schedule of the constitution, at least up to the Secondary Level.
2. A PhD degree from a UGC Recognized Indian University in the relevant area as indicated above with relevant publications (see the detailed guidelines), preceded by a full-time Master/Integrated Master's degree in Linguistics, Language Science, in any of the 22 Scheduled Indian Language, Literature, English (with a focus on Indian Literature/Languages/Culture), Anthropology, Psychology, or Education.

3. Freshly Enrolled in UGC Recognized Indian University as post-doctoral candidate.
4. Candidates expecting to enroll in a relevant post-doctoral programme in the next 3 months, from the date of the award of fellowship, may also be considered.

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 02 जुलाई 2026 है।

विस्तृत दिशानिर्देशों, नियमों एवं शर्तों, परिचालन विवरण आदि के लिए कृपया www.ciil.org और www.ciil-ntsindia.net पर लॉग ऑन करें। ऑनलाइन आवेदन केवल https://apply.ciil.org/ के माध्यम से जमा किए जाने हैं। आवेदनों की किसी भी भौतिक प्रति पर विचार नहीं किया जाएगा

सामान्य प्रश्नों के लिए कार्यालय समय के भीतर (सुबह 9.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार) श्रीमती हयात अफ़ज़ा / श्रीमती उमा से 0821-2335112या conf.ws.nts@gmail.com पर संपर्क करें।

शैक्षणिक प्रश्नों के लिए डॉ. पंकज द्विवेदी से pankajd.ciil@gov.in पर संपर्क करें.

The last date to submit the application is 02 July 2026.

For detailed guidelines, terms & conditions, operational details, etc., please log on to www.ciil.org and www.ciil-ntsindia.net. Applications are to be submitted via https://apply.ciil.org / only. No physical copy of the applications will be entertained

For General Queries contact: Mrs. Hayath Afza @ 0821-2335112 or conf.ws.nts@gmail.com strictly within office hours, 9.30 AM-5.30 PM, Monday to Friday.

For Academic Queries, contact : Dr Pankaj Dwivedi at pankajd.ciil@gov.in

ध्यातव्य है कि आवेदन और अन्य दस्तावेज जैसे बायोडाटा और शोध प्रस्ताव अंग्रेजी में होने चाहिए। जहां भी ये दस्तावेज़ मुख्य रूप से अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं हैं, वहां एक स्व-प्रमाणित अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

It is to be noted that application and other documents such as biodata and research proposals should be in English. Wherever these documents are primarily not available in English, a self-certified translation shall also be submitted.

(ह.)
Sd/-
प्रभारी अधिकारी
Officer-In-Charge
राष्ट्रीय परीक्षण सेवा-भारत
National Testing Service-India

डॉक्टरल एवं पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृति
राष्ट्रीय परीक्षण सेवा-भारत
(एनटीएस-आई)
भारतीय भाषा संस्थान
मानसगंगोत्री,हुणसूर रोड,मैसूर

नियम एवं शर्ते

अध्येतावृति की राशि और अवधि

डॉक्टोरल अध्येतावृति	पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृति
20,000/- रुपये प्रति माह (शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसी भी संशोधन के अधीन) शुरू में 3 साल की अवधि के लिए और योग्य मामलों में सख्त मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर इसे एक और वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।	30,000/- रुपये प्रति माह (शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसी भी संशोधन के अधीन) प्रारंभ में 1 वर्ष की अवधि के लिए और योग्य मामलों में सख्त मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर इसे एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।
अन्य संबंधित खर्च जैसे, क्षेत्र अध्ययन/डेटा संग्रह, उपकरणों की खरीद, स्टेशनरी, किताबें, जर्नल आदि को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 20,000/- रुपये आकस्मिक अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।	अन्य संबंधित खर्च जैसे, क्षेत्र अध्ययन/डेटा संग्रह, उपकरणों की खरीद, स्टेशनरी, किताबें, पत्रिकाओं आदि को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 30,000/- रुपये आकस्मिक अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।

पात्रता

डॉक्टोरल अध्येतावृति हेतु

1. यूजीसी/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में भारतीय भाषा एवं साहित्य, अंग्रेजी भाषा, शिक्षा और भाषाविज्ञान, या निकट संबद्ध विषयों में पूर्णकालिक पीएच.डी कार्यक्रम में पंजीकृत उम्मीदवार अध्येतावृति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

2. जो आवेदक अपनी पीएच.डी. अभ्यर्थिता के पहले या दूसरे वर्ष में हैं, उन्हें आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका पीएच.डी शोध राष्ट्रीय परीक्षण सेवा-भारत के

लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप होगा। आवेदकों को अपने संबंधित संस्थानों में अपने अंतिम शोध प्रस्ताव जमा करने से पहले एनटीएस-आई, सीआईआईएल के अधिकारियों के साथ अपने पीएच.डी शोध विषय/थीम/क्षेत्र के बारे में परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3. अनुसंधान का मुख्य क्षेत्र शैक्षिक परीक्षण और मूल्यांकन, भाषा परीक्षण और मूल्यांकन, भारतीय भाषाओं में भाषायी कौशल (LSRW), भाषा शिक्षा, ऑनलाइन भाषा शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकियों में नवाचार, साक्षरता, भाषा या शिक्षा नीति, एनईपी-2020, मातृभाषा शिक्षा, भाषा शिक्षण-अधिगम, भाषा शिक्षाशास्त्र, पाठचर्या विकास, उपयोग में आने वाली भाषा, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा, शैक्षिक मनोविज्ञान, अल्प-संसाधन वाली भाषा कक्षा, भाषा और संस्कृति आदि या भारतीय भाषाओं/मातृ भाषाओं के लिए भाषा शिक्षा/संस्कृति आदि से संबंधित क्षेत्र में भारत सरकार की योजनाओं के अनुरूप कई अन्य विषय होंगे।

4.अध्येतावृति के रूप में 20,000/-(बीस हजार रुपये) प्रति माह का भुगतान होगा। इसके अलावा 20,000/-(बीस हजार रुपये) प्रति वर्ष की दर से आकस्मिक अनुदान 3 साल की अवधि के लिए देय होगा जिसे विशेष परिस्थितियों में एक और वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

5. डॉक्टरल अध्येतावृति के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी की आयु 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग या दिव्यंगता वाले अभ्यर्थी को आयु में 5 वर्ष की छूट होगी। अभ्यर्थी की उम्र की गणना का एक मात्र आधार एसएससी/10वीं प्रमाण पत्र होगा।

6. उम्मीदवार को स्नातक में न्यूनतम 55% अंक और स्नातकोत्तर या समकक्ष ग्रेड में 55% अंक प्राप्त होने चाहिए। आवेदन के समय एमए/एमफिल तक के प्रमाणपत्र/अंक पत्र/डिग्री की स्वप्रमाणित प्रतियां जमा करना अनिवार्य है।

7. आवेदनों की जांच के समय संबंधित विषय में गेट/नेट/स्लेट और एमफ़िल के स्कोर/प्रमाणपत्र के लिए अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। हालाँकि गेट/नेट/स्लेट/एमफ़िल योग्यता अनिवार्य नहीं है, अतिरिक्त अंक अर्जित करने के लिए गेट/नेट/स्लेट/एमफ़िल स्कोर/प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है।

8. जो आवेदक पहले से ही यूजीसी जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) / राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप (आरजीएनएफ) / मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप (एमएएनएफ) / आईसीएसएसआर / आईसीएआर / सीएसआईआर / आईसीपीआर / आईसीएमआर / आईसीएचआर, या ऐसी कोई राष्ट्रीय फेलोशिप / प्रायोजन प्राप्त कर रहे हैं वे आवेदन करने के योग्य नहीं हैं ।

9. यह फ़ेलोशिप पूर्णकालिक अनुसंधान कार्य के लिए होगी और इसे किसी अन्य पूर्णकालिक या अंशकालिक कार्य के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

10. फेलोशिप पीएच.डी थीसिस (जिसके लिए फेलोशिप प्रदान की गई) जमा करने के दो महीने बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी।

11. अध्येता को निष्पादित किए गए कार्य की त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सभी रिपोर्टों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। यदि किसी अध्येता द्वारा किया गया शोध किसी भी समय असंतोषजनक पाया जाता है तो फेलोशिप बंद कर दी जा सकती है। यदि किसी अध्येता द्वारा किया गया शोध असंतोषजनक पाया जाता है तो उसे दी गई फ़ेलोशिप की राशि उससे वसूल की जाएगी।

12. अध्येताओं द्वारा क्षेत्रकार्य, सर्वेक्षण, मात्रात्मक अध्ययनों तथा अन्य अनुसंधान गतिविधियों के माध्यम से एकत्रित या तैयार किए गए सभी अनुसंधान-आँकड़ों को राष्ट्रीय परीक्षण सेवा–भारत (NTS-I) के पास अभिलेखित किया जाएगा। ये आँकड़े लागू नैतिक, गोपनीयता तथा डेटा-सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के अनुरूप सुव्यवस्थित, समुचित रूप से प्रलेखित तथा पहचान-रहित स्वरूप में प्रस्तुत किए जाएँगे।

13. अनुसंधान-कार्य से उत्पन्न किसी भी प्रकाशन को केवल प्रतिष्ठित, समकक्ष-समीक्षित तथा विधिवत अनुक्रमित शोध-पत्रिका में ही प्रकाशित किया जाएगा तथा इसके संबंध में राष्ट्रीय परीक्षण सेवा–भारत को पूर्व सूचना दी जाएगी। किसी अध्येता द्वारा किसी शिकारी (Predatory) अथवा अन्यथा गैर-मान्यता प्राप्त शोध-पत्रिका में प्रकाशन किए जाने पर, समुचित परीक्षण के उपरांत, उसकी अध्येतावृत्ति समाप्त की जा सकती है।

14. यदि अध्येता अपनी फेलोशिप की अवधि के दौरान निर्धारित समय के भीतर अपने मोनोग्राफ/पुस्तकें/थीसिस जमा नहीं करता है, तो फेलोशिप और आकस्मिक निधि की अंतिम किस्त (यानी पिछले छह महीनों की) रोक दी जाएगी। पांडुलिपि के प्रकाशन के समय एनटीएस-आई की फैलोशिप के लिए उचित श्रेय दिया जाना चाहिए।

15. फेलोशिप धारकों को अपने शोध कार्य/विषय/क्षेत्र/अध्ययन के अनुशासन में अपनाई जाने वाली मूल्यांकन विधियों के बारे में अपनी थीसिस/शोध प्रबंध में एक अध्याय/उप-अध्याय शामिल करना होगा। इसके लिए आवेदन के साथ एक घोषणा संलग्न होनी चाहिए जिसमें बताया गया हो कि उनका शोध कार्य एनटीएस-आई के उद्देश्यों की पूर्ति में कैसे योगदान देगा।

16. संपूर्ण थीसिस/शोध प्रबंध की 2 प्रतियां दो या तीन भाषाओं में एनटीएस-आई को जमा करनी होंगी। उदाहरण के लिए, यदि थीसिस अंग्रेजी में है, तो इसका हिंदी में अनुवाद किया जाना चाहिए, या इसके विपरीत क्रम में। यदि यह किसी अन्य भारतीय भाषा में है तो इसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए। अनुसार अनुवाद/बाइंडिंग का शुल्क एनटीएस-आई/सीआईआईएल द्वारा निर्धारित दर के वहन किया जा सकता है।

पात्रता:

पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप

1. यूजीसी/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में भारतीय भाषा एवं साहित्य, अंग्रेजी भाषा, शिक्षा और भाषाविज्ञान, या निकट संबद्ध विषयों में पूर्णकालिक पोस्ट-डॉक्टरल कार्यक्रम में पंजीकृत उम्मीदवार अध्येतावृति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं ।

2. उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका पोस्ट-डॉक्टोरल शोध राष्ट्रीय परीक्षण सेवा-भारत के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप है । आवेदकों को अपने संबंधित संस्थानों में अपना अंतिम शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले एनटीएस-आई, सीआईआईएल के अधिकारियों के साथ अपने शोध विषय/थीम/क्षेत्र के बारे में परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3. अनुसंधान का मुख्य क्षेत्र शैक्षिक परीक्षण और मूल्यांकन, भाषा परीक्षण और मूल्यांकन, भारतीय भाषाओं में भाषायी कौशल, भाषा शिक्षा, ऑनलाइन भाषा शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकियों में नवाचार, साक्षरता, भाषा या शिक्षा नीति, एनईपी-2020, मातृभाषा शिक्षा, भाषा शिक्षण-अधिगम, भाषा शिक्षाशास्त्र, पाठचर्या विकास, उपयोग में आने वाली भाषा, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा, शैक्षिक मनोविज्ञान, अल्प-संसाधन वाली भाषा कक्षा, भाषा और संस्कृति आदि या भारत सरकार की संबंधित योजनाओं के अनुरूप भारतीय भाषाओं/मातृभाषाओं के लिए भाषा शिक्षा/संस्कृति आदि के क्षेत्र में होगा।

4. अध्येतावृति 30,000/-(तीस हजार रुपये) प्रति माह दी जाएगी और अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए 30,000/- रुपये (तीस हजार रुपये) प्रति वर्ष का आकस्मिक अनुदान की राशि भी देय होगी।

5. पोस्ट डॉक्टोरल फ़ेलोशिप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/श्रेणी के आवेदकों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट होगी। 10वीं/एसएससी प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्मतिथि आवेदक की उम्र की गणना का एकमात्र आधार होगी।

6. उम्मीदवार के पास पीयर रिव्यूड/यूजीसी केयर/स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल्स में न्यूनतम चार प्रकाशनों के साथ यूजीसी मानदंडों के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पीएच.डी की उपाधि होनी चाहिए । चार में से दो विस्तृत जर्नल पेपर होने चाहिए जो पीएच.डी के दौरान किए गए शोध से सीधे तौर पर प्रासंगिक हों।

7. उम्मीदवार को स्नातक में न्यूनतम 55% अंक और स्नातकोत्तर या समकक्ष ग्रेड में 55% अंक प्राप्त करने चाहिए। आवेदन के समय एमए/एमफिल/पीएच.डी तक के प्रमाणपत्र/अंक पत्र/डिग्री की स्वप्रमाणित प्रतियां जमा करना अनिवार्य है ।

8. संबंधित विषय में गेट/नेट/स्लेट/एमफ़िल का स्कोर/प्रमाणपत्र के लिए आवेदनों की जांच में अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे। हालाँकि गेट/नेट/स्लेट/एमफ़िल योग्यता अनिवार्य नहीं है, अतिरिक्त अंक प्राप्त करने के लिए गेट/नेट/स्लेट स्कोर/प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है।

9. जिन आवेदकों को पहले से ही कोई पोस्टडॉक्टोरल फ़ेलोशिप/प्रायोजन प्राप्त हो चुका है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

10. यह अध्येतावृति पूर्णकालिक अनुसंधान कार्य के लिए होगी और इसे किसी अन्य पूर्णकालिक या अंशकालिक कार्य के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

11. अध्येतावृति पोस्ट-डॉक्टरल शोध-प्रबंध (जिसके लिए फेलोशिप प्रदान की गई) जमा करने के दो महीने बाद स्वत: समाप्त हो जाएगी।

12. अध्येताओं द्वारा क्षेत्रकार्य, सर्वेक्षण, मात्रात्मक अध्ययनों तथा अन्य अनुसंधान गतिविधियों के माध्यम से एकत्रित या तैयार किए गए सभी अनुसंधान-आँकड़ों को राष्ट्रीय परीक्षण सेवा–भारत (NTS-I) के पास अभिलेखित किया जाएगा। ये आँकड़े लागू नैतिक, गोपनीयता तथा डेटा-सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के अनुरूप सुव्यवस्थित, समुचित रूप से प्रलेखित तथा पहचान-रहित स्वरूप में प्रस्तुत किए जाएँगे।

13. अनुसंधान-कार्य से उत्पन्न किसी भी प्रकाशन को केवल प्रतिष्ठित, समकक्ष-समीक्षित तथा विधिवत अनुक्रमित शोध-पत्रिका में ही प्रकाशित किया जाएगा तथा इसके संबंध में राष्ट्रीय परीक्षण सेवा–भारत को पूर्व सूचना दी जाएगी। किसी अध्येता द्वारा किसी शिकारी (Predatory) अथवा अन्यथा गैर-मान्यता प्राप्त शोध-पत्रिका में प्रकाशन किए जाने पर, समुचित परीक्षण के उपरांत, उसकी अध्येतावृत्ति समाप्त की जा सकती है।

13. शोधार्थी को किए गए कार्य की त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होगी। सभी रिपोर्टों का मूल्यांकन एनटीएस/सीआईआईएल के विशेषज्ञों/प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा। यदि किसी शोधार्थी द्वारा किया गया शोध किसी भी समय असंतोषजनक पाया जाता है तो अध्येतावृति बंद की जा सकती है । यदि किसी अध्येता द्वारा किया गया शोध असंतोषजनक पाया जाता है तो उसे दी गई अध्येतावृति की राशि वसूल की जाएगी।

14. यदि शोधार्थी अध्येतावृति की अवधि के दौरान निर्धारित समय के भीतर अपने मोनोग्राफ/पुस्तकें/ शोध प्रबंध जमा नहीं करता है, तो उसकी अंतिम किस्त, यानी अध्येतावृति की अंतिम छह महीने की किस्त और आकस्मिकता धनराशि रोक दी जाएगी। पांडुलिपि के प्रकाशन के समय एनटीएस-आई की अध्येतावृति के लिए उचित श्रेय दिया जाना चाहिए।

15.अध्येतावृति धारकों को अपने शोध कार्य/विषय/क्षेत्र/अध्ययन के अनुशासन में अपनाई जाने वाली मूल्यांकन विधियों के बारे में अपनी शोध प्रबंध/शोध निबंध में एक अध्याय/उप-अध्याय शामिल करना होगा। इसके लिए, आवेदन के साथ एक घोषणापत्र संलग्न होना चाहिए जिसमें बताया गया हो कि उनका शोध कार्य एनटीएस-आई के उद्देश्यों की पूर्ति में कैसे योगदान देगा।

16. संपूर्ण शोध प्रबंध/शोध निबंध की दो प्रतियां दो या तीन भाषाओं में एनटीएस-आई को प्रस्तुत करनी होगी। उदाहरण के लिए, यदि यह अंग्रेजी में है, तो इसका हिंदी में अनुवाद किया जाना चाहिए या इसके विपरीत क्रम में होना चाहिए। यदि यह अन्य भारतीय भाषाओं में है तो इसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए। एनटीएस-आई सीआईआईएल द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अनुवाद का शुल्क वहन किया जाएगा।

छुट्टी की स्वीकृति

i. डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टरल दोनों अभ्यर्थी सार्वजनिक छुट्टियों के अतिरिक्त एक वर्ष में अधिकतम 30 दिनों की छुट्टी के हकदार होंगे। वे किसी अन्य प्रकार के छुट्टी के पात्र नहीं होंगे।

ii. महिला अध्येता अध्येतावृत्ति के पूरे कार्यकाल के दौरान केवल एक बार 3 महीने के मातृत्व अवकाश के दौरान अध्येतावृत्ति की राशि पाने के लिए पात्र होंगी । वैध चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार पुरुष अध्येताओं को अध्येतावृत्ति के पूरे कार्यकाल के दौरान केवल एक बार वैध चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर 15 दिनों के पितृत्व अवकाश की अनुमति दी जाएगी।

iii. किसी विशेष स्थिति में, जैसा कि उचित माध्यम से पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया हो और एनटीएस-आई/सीआईआईएल के अधिकारियों द्वारा संतोषजनक पाया जाता है तो अध्येतावृत्ति के बिना अतिरिक्त छुट्टी की अनुमति दी जाएगी लेकिन यह अधिकतम 2 महीने के अवधि तक सीमित रहेगी। अध्येतावृत्ति के पूरे कार्यकाल के दौरान केवल एक बार इसकी अनुमति दी जाएगी । ऐसी किसी भी छुट्टी की मांग करते समय अभ्यर्थियों को एनटीएस-इंडिया के सक्षम पदाधिकारियों के अनुमोदन हेतु सहायक दस्तावेजों (जैसे चिकित्सा प्रमाण-पत्र, नियुक्ति पत्र) सहित उचित माध्यम से पहले ही आवेदन करना होगा ।

iv. अध्येता की मासिक उपस्थिति रिपोर्ट संबंधित विभाग को जमा करनी होगी।

नोट – संबंधित शोध निर्देशकों / पर्यवेक्षकों से अनुरोध है कि वे एनटीएस-आई को सूचित करें कि उनके द्वारा मार्गदर्शित शोधार्थी ने उपरोक्त अनुच्छेद (i) से (iv) के तहत छुट्टी की अनुमति के अतिरिक्त असाधारण छुट्टी के लिए आवेदन किया है ।

आवेदन की प्रक्रिया

- अभ्यर्थियों को अपने विस्तृत शोध प्रस्ताव, अनुसंसा पत्रों, पूर्व योग्यताओं और अनुभवों के प्रमाण पत्रों, प्रकाशनों की सूची और विस्तृत जीवनवृत्त के साथ एक ऑनलाईन आवेदन जमा करना होगा। आवेदन/जीवन-वृत्त और ऐसे सभी दस्तावेज अंग्रेजी में प्रस्तुत होने चाहिए।

- आवेदन की जाँच एनटीएस-आई/सीआईआईएल में निर्दिष्ट समूह द्वारा की जाएगी।
- चयनित सूची के अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार/प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- योग्य अभ्यर्थियों की सूची एनटीएस-आई/सीआईआईएल के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
- चयनित व सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप से एनटीएस-आई को रिपोर्ट करना होगा।
- अध्येतावृत्ति के प्रारंभ एवं इसकी निरंतरता की प्रभावी तिथि एनटीएस-आई/सीआईआईएल के अधिकारियों द्वारा तय की जाएगी।

अध्येतावृत्ति प्रदान करने और जारी रखने की प्रक्रिया

- डॉक्टरल / पोस्ट डॉक्टरल स्तर पर शोध करने के लिए पंजीकरण की पुष्टि।
- विधिवत हस्ताक्षरित उपस्थिति रिपोर्ट समय पर जमा करना (प्रत्येक माह)।
- विधिवत हस्ताक्षरित प्रगति रिपोर्ट (प्रत्येक तिमाही) समय पर प्रस्तुत करना। प्रत्येक तिमाही में कार्य की प्रगति रिपोर्ट पर्यवेक्षक शोध निर्देशक, विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और कुलसचिव अथवा उप-कुलसचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो या विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षा संस्थान के ऐसे प्रमाणीकरण के लिए कुलसचिव (शैक्षणिक) या संबंधित को नामित किया गया हो।
- पीयर रिव्यूड/यूजीसी केयर/स्कोपस इंडेक्स में शोध से संबंधित न्यूनतम एक प्रासंगिक पत्रिका में प्रकाशन और किसी भी एक प्रतिष्ठित सम्मेलन में एक प्रस्तुति दी गई हो। अध्येतावृत्ति की कार्य-अवधि के दौरान सभी प्रकाशन एनटीएस-आई की पूर्व सूचना और अनुमति से किए जाएंगे।

सामान्य नियम एवं शर्तें

- आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह बनाए गए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता/ करती है ।
- अभ्यर्थियों को शोध पर्यवेक्षक की अनुशंसा के साथ उचित माध्यम से अपने आवेदन जमा करने होंगे।
- डॉक्टरल अध्येतावृत्ति धारकों को एक वर्ष में न्यूनतम 60 कार्य दिवसों की अवधि के लिए कार्य/शैक्षणिक कार्य के लिए एनटीएस-आई कार्यालय में स्वयं को उपलब्ध कराना होगा, जबकि पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप धारकों को स्वयं को कार्य/शैक्षणिक कार्य के लिए 90 दिनों तक एनटीएस कार्यालय में उपलब्ध कराना

होगा। इस अवधि के दौरान अध्येता को थर्ड एसी वापसी किराया और मुफ्त छात्रावास प्रदान किया जाएगा। शैक्षणिक कार्य/समनुदेशन का समय और इसकी प्रकृति एनटीएस-आई/सीआईआईएल के सक्षम अधिकारियों द्वारा तय की जाएगी।

- अध्येताओं को पियर रिव्यूड/यूजीसी-केयर/स्कोपस इंडेक्स्ड आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विशेषकर एनटीएस-आई के अधिकारियों/सदस्यों के संयुक्त सहयोग से। अध्येतावृत्ति कार्यकाल के दौरान सभी प्रकाशन एनटीएस–आई की पूर्व सूचना एवं अनुमति से होना चाहिए।

प्रगति की निगरानी

- उम्मीदवारों के प्रदर्शन (डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टोरल फ़ेलोशिप दोनों) की निगरानी एनटीएस-आई / सीआईआईएल में नियमित रूप से की जाएगी।
- उम्मीदवारों को एनटीएस-इंडिया द्वारा दी गई फेलोशिप के कार्यकाल के दौरान किसी भी भुगतान या अवैतनिक पद को स्वीकार करने या रखने या अन्य स्रोतों से परिलब्धियां / वेतन या वजीफा आदि प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- फ़ेलोशिप अभ्यर्थी के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, यदि अभ्यर्थी के द्वारा :

  क) शोध शुरू करने के बाद पर्याप्त प्रगति नहीं दिखाई गई है।

  ख) एनटीएस, सीआईआईएल या सरकार के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि में शामिल पाया गया।

  ग) एनटीएस फ़ेलोशिप के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया गया।

  घ) फेलोशिप के वास्तविक कार्यकाल के बाद कोई भी अतिरिक्त दावा अवैध माना जाएगा और ऐसे मामले में उम्मीदवार अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी होगा।

  ङ) **एनटीएस सीआईआईएल के बजट के संबंधित मद में धन की कमी के कारण/भी फेलोशिप बंद की जा सकती है।**

❖ **आकस्मिक अनुदान का उपयोग**

i. 20,000/- (डॉक्टोरल रिसर्च स्कॉलर्स के लिए) और रु. 30,000/- (पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च स्कॉलर्स के लिए) प्रति वर्ष दो किश्तों में देय है।

ii. अनुदान का उपयोग पर्यवेक्षक और एनटीएस-भारत के प्रमुख के अनुमोदन से निम्नलिखित मदों के लिए किया जा सकता है:

(क) अनुमोदित शोध के लिए आवश्यक पुस्तकों, स्टेशनरी की खरीद, सम्मेलन/कार्यशाला में पंजीकरण शुल्क, किसी शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए यात्रा/क्षेत्र कार्य व्यय आदि।

(ख) ज़ेरॉक्सिंग, टाइपिंग (थीसिस सहित), स्टेशनरी, डाक और लिपिकीय या अन्य सहायता की लागत।

(हालांकि, कुल आकस्मिक अनुदान का अधिकतम 30% ही ज़ेरॉक्सिंग, टाइपिंग (थीसिस सहित), स्टेशनरी, डाक और लिपिकीय या इसी तरह की सहायता के लिए खर्च किया जा सकता है)।

(ग) आकस्मिक अनुदान प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए सभी बिल/रसीदें मूल रूप में एनटीएस-आई/सीआईआईएल को जमा की जाएंगी। केवल वे बिल/रसीदें एनटीएस-आई/सीआईआईएल द्वारा मानदंडों के अनुसार स्वीकार की जाएंगी जो वैध और कानून सम्मत हैं ।

iii. छात्रवृत्ति की समाप्ति पर, आकस्मिक अनुदान से खरीदे गए उपकरण और अन्य गैर-उपभोज्य वस्तुएं एनटीएस-आई/सीआईआईएल की संपत्ति बन जाएंगी । आकस्मिक अनुदान का उद्देश्य विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान द्वारा फर्नीचर, अन्य वस्तुओं पर व्यय और परीक्षा या अन्य शुल्क का भुगतान करना नहीं है।

iv. आकस्मिक अनुदान से होने वाले सभी व्ययों के लिए पर्यवेक्षक से इस आशय का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा कि उपगत व्यय अनुमोदित शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है।

v. अनुमोदित शोध कार्य के संबंध में किसी शोध छात्र द्वारा किए गए क्षेत्रीय कार्य/यात्रा के लिए यात्रा व्यय स्वीकार्य होगा ।

ध्यान दें: शोधकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पूर्व-प्राप्त बिल की प्राप्ति पर, शोधकर्ता को फ़ेलोशिप की राशि जारी की जाएगी जिसकी एक प्रति सीधे पर्यवेक्षक/उचित पदधिकारी को भेजी जाएगी ।

DOCTORAL & POST DOCTORAL FELLOWSHIPS
National Testing Service-India (NTS-I)
Central Institute of Indian Languages
Manasagangotri, Hunsur Road, Mysore

Terms & Conditions

Value and duration of fellowships

Doctoral Fellowship	Post Doctoral Fellowship
Rs. 20, 000/- per month (subject to any revision by the Ministry of Education) initially for a period of 3 years and may be extended by one more year based on a strict assessment procedure in deserving cases.	Rs. 30, 000/- per month (subject to any revision by the Ministry of Education) initially for a period of 1 year and may be extended by one more year based on a strict assessment procedure in deserving cases.
A contingency grant of Rs. 20,000/- per annum will also be provided to meet other related expenses such as field study/data collection, purchase of equipments, stationary, books, journals etc.	A contingency grant of Rs. 30,000/- per annum will also be provided to meet other related expenses such as filed study/data collection, purchase of equipments, stationary, books, journals etc.

Eligibility

For Doctoral Fellowship

1. Candidates registered in UGC/GOI-recognized Indian Universities and Institutions in full-time PhD programmes in Indian Languages and Literature, English Language, Education, and Linguistics, or closely allied subjects are eligible to apply for the Fellowship.
2. Applicants who are in the first or second year of their PhD candidature are encouraged to apply. Preference will be given to the applicants whose PhD research is in sync with the Goals and Objectives of the National Testing Service –India. The applicants are encouraged to consult with the officials at NTS-I, CIIL about their PhD research topic/theme/area, before submission of their final research thesis at their respective Institutions.
3. The preferred area of research would be in the areas of Educational Testing and Evaluation, Language Testing and Assessment, LSRW skills in Indian Languages, Language Education, Online Language Education, Innovation in Educational Technologies, Literacy, Language or Education policy, NEP-2020, Mother Tongue Education, Language Teaching-Learning, Language Pedagogy, Curriculum Development, Language-in-use, Language for Specific Purposes, Educational Psychology, Lower Resource Language Classroom, Language and

Culture, etc., or in line with schemes of GOI pertaining to language education/culture, etc. for Indian languages/mother languages

4. The fellowship shall carry an amount of **Rs. 20,000/-** (Rupees Twenty Thousand) per month with a contingency grant of **Rs. 20,000**/- (Rupees Twenty Thousand) per annum for a period of 3 years extendable upto one more year under special circumstances.
5. The candidate must not be more than 32 years of age for Doctoral Fellowships on the last date of application. There shall be an age relaxation of 5 years for the candidates belonging to the SC/ST category or with benchmark disability. DOB mentioned in the SSC/10th certificate shall be the only basis for calculating the age of the applicant.
6. The candidate must have secured a minimum of 55% marks in Graduation and 55% in Post-Graduation or equivalent grades. The submission of self-attested copies of certificates/mark sheets/degrees up to MA/MPhil is mandatory at the time of application.
7. Score/Certificate of the GATE/NET/SLET and M.Phil. in the relevant subject will carry additional points in the scrutiny of the applications. Though GATE/NET/SLET/M.Phil. Qualification is not mandatory, the submission of the GATE/NET/SLET/M.Phil. Score/Certificate is mandatory to secure additional points.
8. Applicants already receiving UGC Junior Research Fellowship (JRF)/ Rajiv Gandhi National Fellowship (RGNF)/ Maulana Azad National Fellowship (MANF)/ ICSSR/ ICAR/ CSIR/ ICPR/ ICMR/ ICHR, or any such national fellowship/sponsorship are not eligible to apply.
9. This Fellowship shall be a whole-time engagement for research work and cannot be combined with any other whole-time or part-time work.
10. The fellowship shall automatically be terminated two months after the fellow submits his/her PhD thesis (for which the Fellowship had been awarded).
11. The fellow will have to submit quarterly, half-yearly and annual progress reports of the work undertaken. All reports will be evaluated by the experts. The fellowship may be discontinued if research undertaken by any fellow is found unsatisfactory at any point in time. The amount of fellowship granted to a fellow shall be recovered if the research undertaken by him is found unsatisfactory.
12. The fellows shall archive all research data generated through fieldwork, surveys, quantitative studies and other research activities with the National Testing Service–India (NTS-I). The data shall be submitted in a properly documented and anonymised form, subject to applicable ethical, confidentiality and data-protection requirements.
13. Any publication arising from the research work shall be submitted only to reputed, peer-reviewed and duly indexed journals, with prior intimation to NTS-I. Publication by a fellow

in a predatory or otherwise non-recognised journal may, after due examination, lead to discontinuation of the fellowship.

14. The last instalment, i.e., of the last six months of the Fellowship and contingency shall be withheld if the Fellow does not submit his/her monographs/books/thesis within the stipulated time during his term of Fellowship. When the manuscript is published, the due acknowledgement should be made to the Fellowship of the NTS-I.
15. Fellowship holders have to include one chapter/sub-chapter in their thesis/dissertation about the evaluation methods followed in their research work/subject/area/discipline of study. For this, there should be a declaration enclosed with the application stating how their research work is going to contribute towards the fulfilment of the objectives of NTS-I.
16. The 2 copies of the entire thesis/dissertation have to be submitted to NTS-I in two or three languages. For example, if it is in English, then it should be translated into Hindi, and vice versa. If it is in other Indian languages then it should be translated into English and Hindi both. NTS-I/CIIL may bear the charges of translation/Binding as per the rate fixed by CIIL.

❖ Eligibility:

Post-Doctoral Fellowship

1. Candidates registered in UGC/GOI-recognized Indian Universities and Institutions in full-time Post-Doctoral programmes in Indian Languages and Literature, English Language, Education, and Linguistics, or closely allied subjects are eligible to apply for the Fellowship.
2. Preference will be given to the applicants whose Post-Doctoral research is in sync with the Goals and Objectives of the National Testing Service –India. The applicants are encouraged to consult their research topic/theme/area with the officials at NTS-I, CIIL before submitting their final research proposal at their respective Institutions.
3. The preferred area of research would be in the areas of Educational Testing and Evaluation, Language Testing and Assessment, LSRW skills in Indian Languages, Language Education, Online Language Education, Innovation in Educational Technologies, Literacy, Language or Education policy, NEP-2020, Mother Tongue Education, Language Teaching-Learning, Language Pedagogy, Curriculum Development, Language-in-use, Language for Specific Purposes, Educational Psychology, Lower Resource Language Classroom, Language and Culture, etc., or in line with schemes of GOI pertaining to language education/culture, etc. for Indian languages/mother languages.

4. The Fellowship shall carry an amount of **Rs. 30,000/-** (Rupees Thirty Thousand) per month with a contingency grant of **Rs. 30,000**/- (Rupees Thirty Thousand) per annum for a maximum period of 2 years.
5. The candidate must not be more than 35 years of age for Post-Doctoral Fellowships on the last date of application. There shall be an age relaxation of 5 years for SC/ST/category with benchmark disability. DOB mentioned in the 10^{th}/SSC certificate shall be the only basis for calculating the age of the applicant.
6. The candidate must have completed their PhD in the relevant area as per UGC norms with a minimum of four publications in Peer Reviewed/UGC Care/Scopus Indexed Journals. Out of four, two must be detailed journal papers directly relevant to the research undertaken during the PhD.
7. The candidate must have secured a minimum of 55% marks in Graduation and 55% in Post-Graduation or equivalent grades. The submission of self-attested copies of certificates/mark sheets/degrees up to MA/MPhil/PhD is mandatory at the time of application.
8. Score/Certificate of the GATE/NET/SLET/M.Phil. in the relevant subject will carry additional points in the scrutiny of the applications. Though GATE/NET/SLET/M.Phil. Qualification is not mandatory, and the submission of the GATE/NET/SLET Score/Certificate is mandatory to secure additional points.
9. Applicants who have already received any postdoctoral fellowship/sponsorship are not eligible to apply.
10. This Fellowship shall be a whole-time engagement for research work and cannot be combined with any other whole-time or part-time work.
11. The fellowship shall automatically be terminated two months after the fellow submits his/her Post-Doctoral thesis (for which the Fellowship had been awarded).
12. The fellows shall archive all research data generated through fieldwork, surveys, quantitative studies and other research activities with the National Testing Service–India (NTS-I). The data shall be submitted in a properly documented and anonymised form, subject to applicable ethical, confidentiality and data-protection requirements.
13. Any publication arising from the research work shall be submitted only to reputed, peer-reviewed and duly indexed journals, with prior intimation to NTS-I. Publication by a fellow in a predatory or otherwise non-recognised journal may, after due examination, lead to discontinuation of the fellowship.
14. The fellow will have to submit Quarterly, half-yearly and Annual progress reports of the work undertaken. All reports will be evaluated by the expert(s)/authorities at NTS/CIIL. The fellowship may be discontinued if research undertaken by any fellow is found unsatisfactory

at any point in time. The amount of fellowship granted to a fellow shall be recovered if the research undertaken by him is found unsatisfactory.

15. The last instalment, i.e., of the last six months of the Fellowship and contingency shall be withheld if the fellow does not submit his/her monographs/books/thesis within the stipulated time during his term of Fellowship. When the manuscript is published, the due acknowledgement should be made to the Fellowship of the NTS-I.
16. Fellowship holders have to include one chapter/sub-chapter in their thesis/dissertation about the evaluation methods followed in their research work/subject/area/discipline of study. For this, there should be a declaration enclosed with the application stating how their research work is going to contribute towards the fulfilment of the objectives of NTS-I.
17. The 2 copies of entire thesis/dissertation have to be submitted to NTS-I in two or three languages. For example, if it is in English, then it should be translated into Hindi and vice versa. If it is in other Indian languages then it should be translated into English and Hindi both. NTS-I will bear the charges of translation as per the rate fixed by CIIL.

Grant of Leave

i. Both doctoral and post-doctoral candidates shall be entitled to a maximum period of 30 days of leave in a year in addition to public holidays. They will not be entitled to any other type of leave.

ii. Women Fellows, however, are eligible for maternity leave for 3 months at full rates of fellowships only once during the whole tenure of the award of the fellowship. Maternity leave will be granted only on the production of a valid medical certificate. Similarly, Men Fellows will be allowed for 15 days of paternity leave only once during the whole tenure of the award of the fellowship only on the production of a valid medical certificate.

iii. In exceptional cases, as certified by the supervisor through proper channels and found satisfactory by NTS-I/CIIL authorities, additional leave without fellowship shall be allowed but restricted to a maximum period of 2 months. It will be allowed only once during the entire tenure of the fellowship. The candidates while seeking any such leave shall have to apply through the proper channel well in advance with supporting documents (such as medical certificates, and appointment letters) for approval of the competent authority at the NTS-India.

iv. The concerned department shall have to submit the attendance report of the fellow monthly.

Note: ***The respective guides/supervisors are requested to inform the NTS-I if the scholars guided***

by them apply for extraordinary leave other than the leave permitted under paragraphs (i) to (iv) above.

Procedure for application

- The prospective candidates have to submit an online application with his/her detailed research proposal, letter of recommendation, previous qualifications and experience, list of publications, and detailed CV. The language of applications/CV and all such submitted documents should be in English.
- The application will be scrutinized by the assigned team at NTS-I/CIIL.
- The shortlisted candidates will be invited for a written examination and/or interview/presentation.
- The list of the qualified candidates will be published on the NTS-I/CIIL Website.
- The shortlisted candidates have to report to the NTS-I in person for the verification of the documents.
- The effective date of the commencement of the fellowship and its continuation will be decided by the competent NTS-I/CIIL authorities.

Procedure for award and continuation of fellowship

- Confirmation of registration for pursuing research at the Doctoral/Post Doctoral level.
- Timely submission of duly signed attendance report (Every month)
- Timely submission of duly signed progress report (Every quarter). The progress report of the work in every quarter duly signed by the supervisor/guide, Head of the Department and countersigned by the Registrar or Dy. Registrar (Academic) or a concerned designate for such certification of the university/college/institute of higher learning.
- A minimum of one relevant journal publication related to research in Peer Reviewed/UGC Care/Scopus Indexed and one presentation at a reputed conference. All publications shall be made with prior information and permission of the NTS-I during the tenure of the fellowship.

General Terms and Conditions:

- Before applying, the candidates have to ensure that they fulfil all eligibility criteria as indicated.
- The candidates have to submit their applications through the proper channel with the recommendation of the research supervisor.
- The doctoral fellowship awardees shall make themselves available at the NTS-I Office for work/academic assignment for a minimum period of 60 working days in a year, while postdoctoral fellowship awardees shall make themselves available at the NTS-I Office for work/academic assignment for a minimum period of 90 days in a year. The fellow will be paid 3rd AC return fare and free hostel accommodation during the period. The time and

nature of academic work/assignment will be decided by the competent authorities at NTS-I/CIIL.

- The fellows are encouraged to publish in peer-reviewed/UGC care/Scopus Indexed, etc. journals, esp. in joint collaboration with officers/members of NTS-I. All publications shall be made with prior information and permission of the NTS-I during the fellowship tenure.

Monitoring of the progress

- The performance of the candidates (both for Doctoral and Post Doctoral Fellowship) shall be regularly monitored at the NTS-I/CIIL.

- The candidates will not be permitted to accept or hold any position paid or unpaid or receive emoluments/salary or stipends etc. from other sources during the tenure of the fellowship awarded by the NTS-India.

- The fellowship may be terminated at any time during the tenure of its award if the candidate:
  - **a)** Has not shown adequate progress after initiating the research.
  - **b)** Found involved in any activity detrimental to the NTS, CIIL, or Govt. of India.
  - **c)** Found violating any of the terms and conditions of NTS fellowships.
  - **d)** Any additional claim after the actual tenure of fellowship shall be treated as illegal and in such case, the candidate is liable to face disciplinary action.

The fellowship may also be discontinued due to a lack of funds in the respective head of the Budget of NTS/CIIL.

❖ **Utilization of Contingent Grants**

i. A contingency grant of Rs. 20,000/- (for Doctoral Research Scholars) and Rs. 30,000/- (for Post Doctoral Research Scholars) is admissible per annum payable in two instalments.

ii. The grant may be utilized for the following items with the approval of the supervisor and the Head of NTS-India.

a. Purchase of books, stationeries, registration fee in a conference/workshop, travel/field work expenses to attend any academic activities, etc., needed for the approved research.

b. Cost of photocopying, typing (including thesis), stationary, postage and clerical or other assistance.

(However, a maximum of 30% of the total contingency grant may be spent for the purpose of Xeroxing, Typing (including thesis), Stationary, Postage and clerical or similar assistance).

c. All bills/receipts in original shall be submitted to the NTS-I/CIIL to be able to receive the contingency grant. Only the bills/receipts which are valid and legal tender will be accepted by the NTS-I/CIIL as per norms.

iii. On termination of the scholarship, the apparatus and other non-consumable articles purchased out of the contingency grant will become the property of the NTS-I/CIIL. The contingency grant is not intended for meeting expenditures on furniture items normally provided by the University / College / Institute and payment of examination or other fees.

iv. For all expenditures out of the contingency grant, a certificate from the Supervisor to the effect that the expenditure incurred was in furtherance of the approved research work will be necessary.

v. The travel expenses for field work/travel undertaken by a scholar in connection with the approved research work will be admissible.

Note: Fellowship will be released to the researcher directly with a copy marked to the supervisor/due authority, on receipt of the pre-receipted bill duly signed by the researcher and countersigned by the supervisor.